रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 739] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2019/माघ 24, 1940
No. 739] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2019/MAGHA 24, 1940

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2019

का.आ. 861(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने अनुसूची में सम्मिलित 6 उत्पादों हेतु दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के का.आ. 2920 (अ) के तहत 'सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियाँ, उपकरण और घटक सामग्री (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017' जारी किया था जिसके प्रभावी होने की तारीख 5 सितम्बर, 2018 तय की गई। और यतः भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त उक्त आदेश के प्रभावी होने की तारीख पहले अर्थात् 16 अप्रैल, 2018 कर दी गई जिसे का.आ. सं. 1602(अ) के तहत दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित भारत के राजपत्र में प्रकाशित और 30 जून, 2018 तक प्रभावी आदेश के साथ अनुबद्ध अनुसूची में क्रम सं. 1-3 के उत्पादों के लिए विनिर्माता द्वारा स्वतः प्रमाणन देने की शर्त पर दिनांक 30 मई, 2018 को भारत के राजपत्र में संशोधित का.आ. 2183(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

2. और यतः उद्योगों ने आदेश के अनुपालन के लिए और अधिक समय मांगा इसलिए स्व-प्रमाणन को 13.07.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 3449 (अ) के माध्यम से 04 सितम्बर, 2018 तक बढ़ा दिया गया, जिसे बाद में 12 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. सं. 4787(अ) के तहत आदेश में सूचीबद्ध सभी उत्पादों के लिए 20 सितम्बर, 2018 तक बढ़ा दिया गया, और बाद में आदेश के सुचारु कार्यान्वयन के लिए संलग्न अनुसूची में प्रत्येक उत्पादों के समक्ष उल्लिखित कार्यान्वयन की तिथियों के साथ सभी उत्पादों के लिए दिनांक 12.10.2018 के का.आ. 5259(अ) के तहत 20 सितम्बर, 2018 से बढ़ाकर 01 जनवरी, 2019 कर दिया गया। और यतः दिनांक 04.01.2019 के का.आ. 46(अ) के तहत क्र. सं. 4-5 की मदों के लिए स्व-प्रमाणन में छूट की तारीख को 30 जून, 2019 तक बढ़ा दिया गया।

3. और यतः एसपीवी मॉड्यूलों (दिनांक 12.10.2018 के का.आ. 5259(अ) के तहत भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की मदें 1-3) के मामले में स्व-प्रमाणन की तारीख को 01/01/2019 तक बढ़ाते हुए उक्त अधिसूचना के पैरा सं. 4 के अनुसार एक शर्त लागू की गई थी कि यह समय-विस्तार केवल उन विनिर्माताओं के लिए मान्य होगा जिन्होंने परीक्षण प्रयोगशालाओं को 31.10.2018 या उससे पहले प्रतिदर्श (सैम्पल) जमा कर दिए थे।

4. और यतः कुछ परियोजना विकासकर्त्ताओं ने अभ्यावेदन दिया है कि कुछ मामलों में 31.10.2018 से पहले प्रतिदर्श जमा करने के बाद भी या तो परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा अभी परीक्षण कार्यों को पूरा किया जाना है अथवा यदि परीक्षण पूरा कर लिया गया है तो बीआईएस ने अभी तक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है।

5. और यतः यह मान्यता देते हुए कि पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने में उन मामलों, जिनमें परियोजना विकासकर्त्ताओं/विनिर्माताओं द्वारा अपने एसपीवी मॉड्यूल (मद 1-3) परीक्षण प्रयोगशालाओं को 31.10.2018 को या उससे पहले जमा कर दिए गए थे, के संबंध में होने वाला उपर्युक्त विलंब उन परिस्थितियों के कारण हो रहा है जो विनिर्माताओं के नियंत्रण से बाहर है, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि ऐसे मामलों के लिए स्व-प्रमाणन की तारीख 01.01.2019 से बढ़ाकर 31.03.2019 की जाती है जिसमें अग्नि परीक्षण (फायर टेस्ट) भी शामिल हैं बशर्ते उनके पास इन मॉड्यूलों के लिए आईएस के अनुरूप मान्य आईईसी प्रमाणपत्र हों :

बशर्ते यह भी कि उक्त आदेश में शामिल की गई सभी मदों के लिए स्व-प्रमाणन करना विनिर्माता/परियोजना विकासकर्त्ताओं पर बाध्यकारी दायित्व होगा ताकि प्रमाणित कार्यनिष्पादन सुनिश्चित हो सके ।

[फा. सं. 223/14/2018-गुणवत्ता नियंत्रण]

डॉ. बी. एस. नेगी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी', एमएनआरई

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2019

S.O. 861(E).—Whereas the Central Government had issued "Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017" vide S.O. 2920 (E) dated 5 September, 2017 for six products included in the Schedule with the date of coming into force with effect from 5th September 2018. And whereas, after having discussions with the various stakeholders including the Bureau of Indian Standards (BIS), the date of coming into force of the said Order was advanced to 16th April, 2018 on the condition of self-certification by manufacturers for products at Sl. No. 1-3 in the schedule annexed to the order applicable till 30th June, 2018 published in Gazette of India notified on 16th April, 2018 *vide* S.O. 1602 (E), which was revised *vide* S.O. 2183(E) published in Gazette of India on 30.05.2018.

2. And whereas, the industry had sought more time for compliance to the order, the self-certification was extended to 4th September, 2018 vide S.O. 3449(E) published in Gazette of India on 13.07.2018, which was further extended to 20th September, 2018 for all products listed in the order vide S.O. No. 4787(E) published in Gazette of India on 12th September 2018, and further to 1st January, 2019 from 20th September, 2018 vide S.O. 5259(E) dated 12.10.2018 for all items with dates of implementation indicated against each product in the schedule annexed for smooth implementation of the order. And whereas, the date of self-certification relaxation for items at Sl. No. 4-5 was extended up to 30th June, 2019 vide S.O. 46(E) dated 4.01.2019.

3. And whereas, in case of SPV modules (items 1-3 of notification published in GoI Gazette vide S.O. 5259(E) dated 12.10.2018), while extending the date of self-certification to 1/1/2019, a condition was imposed as per para 4 of the said notification that this extension would be eligible only for those manufacturers who had submitted samples to test labs before or on 31-10-2018.

4. And whereas, some project developers have represented that in some cases even though samples have been submitted before 31/10/18, the test laboratories are either yet to complete the tests or, in case the tests have been completed, BIS has not yet issued the registration certificate.

5. And whereas, recognizing that the above delay in getting registration certificate is arising due to circumstances beyond the control of manufacturers in respect of cases where the project developers/manufacturers had submitted their SPV Modules (items 1-3) to test laboratories before or on 31.10.2018, it is hereby notified that the date of self-certification relaxation for such cases stands extended from 1.01.2019 to 31.03.2019 including fire test, provided they have valid IEC Certificates corresponding to IS for these Modules:

Provided further, the self-certification for all items included in the said order will have binding responsibility on the manufacturer/project developers to ensure the certified performance.

[F. No. 223/14/2018-Quality Control]

Dr. B. S. NEGI, Adviser/Scientist G, MNRE

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.13 19:53:06 +05'30'